सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-314/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 23 अगस्त 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

बहुचर्चित मुबारकपुर रामजानकी मन्दिर से लूटी गयी प्राचीन मूर्तियों के लूट प्रकरण का वांछित अभियुक्त एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनाक 24/25 मई 2020 की रात को अज्ञात लुटेरो द्वारा रामजानकी मन्दिर के पुजारी को बन्धक बनाकर हाथ पैर बांधकर सनसनी खेज तरीके से मन्दिर में रखी प्राचीन बेश कीमती मूर्तियो को असलहे की नोक पर लूट लिया था जिसमें मुकदमा वादी तथा मुबारकपुर स्थित रामजानकी मन्दिर के पुजारी श्री जयंत तिवारी पुत्र स्व0 शारदा तिवारी ग्राम मिठ्ठापुर थाना जीयनपुर जनपद- आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर मु.अ.स. 94 /020 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कराया गया था गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 392 भादवि के स्थान पर धारा 392,411,34,120बी,भादवि में तरमीम कर विवेचनात्मक कार्यवाही किया गया। मुबारकपुर पुलिस द्वारा चुनौती के रुप में स्वीकार करते हुये सही एवं सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले तथा घटना में शामिल 06 अभियुक्तों को पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग उपरोक्त का वाछित अभियुक्त विपिन मौर्या आज दिनाक 23.8.020 को गिरफ्तार हुआ है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा जघन्य अपराधों के अनावरण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर मय हमराही टीम के उ.नि. कमल नयन दूबे , उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र द्वारा मु0अ0सं0 94/20 धारा392,411,34,120 बी,34 भादवि व मु.अ.स. 144 /020 धारा 307 भादवि के वांछित अभियुक्त विपिन मौर्या पुत्र श्यामनरायण मौर्या निवासी बनकट थाना तहबरपुर थाना आजमगढ को समय करीब 7.05 ए.एम. बजे बम्हौर बाइपास से गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद तमन्चा व जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-167/20 धारा 3 ,25 A एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0 167/20 धारा 3,25 A एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

2- विपिन मौर्या पुत्र श्याम नरायण मौर्या निवासी बनकटा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास

1. मु.अ.स. 94/20 धारा 392,411,34,120बी, भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 144/20 धारा 307 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1- एक अदद तमन्चा 303 बोर , 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर आजमगढ।
2. उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर मय हमराह थाना मुबारकपुर आजमगढ ।
3. उ.नि. कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर मय हमराह जनपद आजमगढ।